SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 12.03.2022

लोक अदालत की प्रेरणा से सुलझा माँ–बेटे के मध्य 30 वर्ष पुराना सम्पत्ति विवाद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 02 में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जिसमें माँ–बेटे के मध्य 30 वर्ष पुराना सम्पत्ति विवाद लोक अदालत की बैंच, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायाधिपति श्री के. एस. राठौड, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय व सदस्य श्री आर. एस. कुलहरि, सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत की इस बैंच में समझाईश से माँ–बेटे ने आपस में अपने 30 वर्ष से अधिक पुराने सम्पत्ति बटवारे के विवाद का निपटारा किया।

तलाक के बावजूद भी लोक अदालत में समझाईश की वजह से एक हुए दम्पत्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 02 में एक प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया जिसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई, जिसकी अपील पक्षकारान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई, जो कि लम्बित थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझाईश के माध्यम से दोनों पक्षकार आपस में पति–पत्नी के तौर पर साथ रहने को तैयार हुए और विवाह विच्छेद की डिक्री जो कि अधीनस्थ न्यायालय से पारित हुई थी, उसे भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए निरस्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया।

न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां, भरतपुर

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां, में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी का विवाह 20 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य विवाह के लगभग 18 वर्ष बाद से विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण दोनों अलग–अलग रह रहे थे। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 में प्रकरण को रखा गया। जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया तथा प्रार्थिया लोक अदालत से ही अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 12.03.2022

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा में दिनांक 12.03.2022 को निस्तारित प्रकरण में उभय पक्षकारान् के मध्य 10 वर्ष से अधिक पुराने दीवानी प्रकरण खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित चल रहा था। उक्त प्रकरण में वादीगण, जो कि गंगानगर निवासरत था, के साथ ऑनलाईन मोबाईल पर प्री–काउंसलिंग की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्षकारों द्वारा अपने प्रकरण को निस्तारित करने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण के निस्तारण होने पर पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा इस रूप में भाव व्यक्त किए गए कि ''जज साहब आपकी तस्वीर को हम घर पर लगायेंगे एवं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे।'' इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 10 वर्ष से लम्बित प्रकरण का राजीनामे की भावना से अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या – 03, जयपुर महानगर द्वितीय

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 03, जयपुर महानगर– द्वितीय में एक दीवानी वाद पक्षकारान् के मध्य 16 वर्षों से लंबित चल रहा था। उपरोक्त वाद में पक्षकारों के मध्य राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकान के स्वामित्व को लेकर विवाद था। उक्त मकान आवासन मण्डल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित किया गया था जिसकी दौराने दावा मृत्यु हो गई। वादी की ओर से उक्त मकान की विनिर्दिष्ट संविदा की पालना हेतु तथा वसूली व स्थायी विषेधाज्ञा का वाद आवासन मण्डल व अन्य के बीच प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में श्री राजेश कुमार दड़िया, ए.डी.जे, द्वारा प्री–काउंसलिंग की गई, जिसमें वादी द्वारा 50 लाख रूपए प्रतिवादीगण को अदा करने पर उक्त मकान का विक्रय विलेख वादी के हक में करने बाबत् राजीनामा हुआ। लोक अदालत में वादी जो अत्यधिक वृद्धावस्था व बीमार अवस्था में एंबूलेंस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुआ और सभी पक्षकारों ने उपस्थित होकर आज उपरोक्त प्रकरण में राजीनामा पेश किया जो लोक अदालत की बैंच के द्वारा तस्दीक किया गया, जिससे उपरोक्त 16 साल पुराने विवाद का पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से अंतिम निस्तारण संभव हुआ।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 12.03.2022

न्यायालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित यह प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (भू अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर बनाम अप्रार्थी के मध्य विवादित था। इस प्रकरण को दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिया रघुनाथदान की अध्यक्षता में दोनों पक्षकारान् के मध्य आपसी समझाईश के आधार पर भूमि आवाप्ति रैफरेंस दीवानी विधि में अवार्ड की जब्तशुदा राशि कुल 4,86,13,807/– रूपये अक्षरे चार करोड़, छियासी लाख, तेरह हजार, आठ सौ सात रूपये मय ब्याज अप्रार्थी भूस्वामी को दिलाये जाने के आदेश पारित किए गए। दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण का निस्तारण किया गया।

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय संख्या–03, जोधपुर महानगर

यह प्रकरण प्रार्थिया व बच्चों द्वारा अपने पति व पिता के विरूद्ध भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायालय प्रथम में दिनांक 24.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के अनुसार प्रार्थिया तथा अप्रार्थी विवाह के पश्चात पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था परन्तु दिनांक 02.04.2007 को प्रार्थिया के पुत्री के जन्म के पश्चात अप्रार्थी एवं उसके परिवारजन का व्यवहार प्रार्थिया के साथ ठीक नहीं रहा। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी में आपसी अनबन तथा पारिवारिक तनाव के चलते प्रार्थिया व उसके बच्चों ने अपने पति व पिता के विरूद्ध भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रकरण दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी के मध्य सुलहवार्ता के प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी मनमुटाव को भुलाकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी ने आपसी सहमति से एक–दूसरे के साथ सहर्ष रहना स्वीकार किया, जो कि लगभग 02 वर्ष से अलग रह रहे थे।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 12.03.2022

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय संख्या–01, जोधपुर महानगर

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अपने बच्चों की कस्टडी लेने हेतु पारिवारिक न्यायालय सं0 01 में दिनांक 18.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी के साथ वर्ष 2009 में हिन्दू रीति–रिवाजों से सम्पन्न हुआ। विवाह के पश्चात् पक्षकारान् के चार संतान पैदा हुई। विवाह के पश्चात् लगभग 05 वर्ष तक पक्षकारान् के वैवाहिक संबंध ठीक रहे थे, उसके पश्चात् अप्रार्थी एवं प्रार्थिया के मध्य झगड़ा होने के कारण प्रार्थिया दो बच्चों को लेकर अपने पीहर आ गयी एवं दो बच्चे अप्रार्थी के पास रह रहे थे। कुछ समय उपरान्त प्रार्थिया ने अपने दोनों बच्चों, जो कि अप्रार्थी के पास रह रहे थे, की कस्टडी लेने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रकरण दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। प्रार्थिया तथा अप्रार्थी के मध्य सुलहवार्ता के प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी मनमुटाव को भुलाकर प्रार्थिया तथा अप्रार्थी अपने चारों बच्चों सहित आपसी सहमति से साथ रहने हेतु राजी हुए। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उक्त प्रकरण का सफल निस्तारण किया गया।

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय संख्या–03, जोधपुर महानगर

यह प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी अपने पिता के विरूद्ध भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायालय सं0 01 में दिनांक 16.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की माता का स्वर्गवास होने के पश्चात् से ही प्रार्थीगण अपनी वृद्ध दादी के पास रह रहे थे एवं अप्रार्थी पिता, अप्रार्थीगण संख्या 02 से नाता विवाह कर अलग रह रहा था। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उक्तानुसार भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से प्रकरण को दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी के मध्य सुलहवार्ता के प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी मनमुटाव को भुलाकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के साथ रहने की सहमति जताई एवं साथ ही अप्रार्थी ने अपनी माता एवं अप्रार्थीगण की दादी को भी साथ रखने हेतु सहमति जताई। इस प्रकार लगभग 03 वर्ष से अलग रह रहे पिता–पुत्र राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजीनामे के माध्यम से एक साथ रहने को राजी हुए।

****

"Help the Needy - Timely Help May Create History"